**संख्याः-02/2025/22ई-2/तेरह-2026-2007472**

प्रेषक,

**दुर्गा सिंह**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आबकारी आयुक्त**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांकः 08 जनवरी, 2026

**विषयः-**मेसर्स वुडपेकर्स ग्रीनएग्री न्यूट्रिएन्टस प्रा.लि., प्लान्ट नं. ए-8/1, खिमसेपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जनपद फर्रूखाबाद को 10 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की यवासवनी की स्थापना किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः-जी-75/दो-प्रा.डी.-293/वुडपेकर्स ग्रीनएग्री फर्रूखाबाद, दिनांक 19-12-2025 तथा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 02-01-2026 में लिए गए निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्याः20ई-2/तेरह-2026-2007472, दिनांक 08-01-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 19-12-2025 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स वुडपेकर्स ग्रीनएग्री न्यूट्रिएन्टस प्रा.लि., प्लान्ट नं. ए-8/1, खिमसेपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जनपद फर्रूखाबाद को 14 दिन की सायकल टाइम के आधार पर 10 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक क्षमता की यवासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ की गयी है कि यवासवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) इकाई द्वारा शासनादेश संख्या 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा यवासवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) यवासवक द्वारा अनाज से बीयर उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(6) प्रदेश में स्थित आसवनियों में आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-1069ई-2/तेरह-2024-1404728, दिनांक 09-12-2024 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) स्थापित की जाने वाली यवासवनी का मैनेजमेंट बोर्ड एवं अध्यासी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कागजात में दर्ज सूचना के अनुरूप निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन हेतु पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे।

(8) इकाई द्वारा आबकारी विभाग के यथासंशोधित टेक्निकल मैनुअल में यवासवनी स्थापना एवं बीयर उत्पादन के संबंध में विनिर्दिष्ट गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आबकारी आयुक्त द्वारा इकाई को उक्त गाइडलाइन उपलब्ध कराते हुये अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(10) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(दुर्गा सिंह)**
उप सचिव।

**संख्या:-02/2025/22(1)ई-2/तेरह-2026-2007472 एवं तद्दिनांक**

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(दुर्गा सिंह)**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in